(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 8(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) चालू कैलंडर वर्ष के दौरान इस मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की पांच बैठकें हुई हैं।

जहां तक इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सम्बन्ध है, राजभाषा विभाग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार समिति में किसी गैर सरकारी सदस्य के नामनिर्दिष्ट किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) और (ग) विधायी विभाग के अधीन राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन अपना कार्य हिन्दी मे करते हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों और अधीन बनाए गए नियमों तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशो के अनुसार इस मंत्रालय के अन्य खण्डों, अनुभागो और अधीनस्थ कार्यालयो मे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निरन्तर बल दिया जाता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायी विभाग मे विधेयको, अध्यादेशो, विनियमों के प्रारूपण और कानूनी नियमों और आदेशों की संवीक्षा से संबंधित कार्य संविधान के अनुच्छेद 348 को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेजी मे किया जाता है। इसी प्रकार विधि कार्य विभाग मे सलाह तथा उच्च न्यायालयो और उच्चतम न्यायालय मे सरकारी मुकदमो का कार्य अंग्रेजी में ही किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागो द्वारा विधि कार्य विभाग को निर्वचन की बाबत विधिक सलाह के लिए किए गए निर्देश भी साधारण तया अंग्रेजी मे होते हैं।

अतः यह कहना सही नही है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को कार्यान्वित नही किया जा रहा है।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

593. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागो, संस्थानो और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरियो): (क) इस वर्ष विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक बैठक ही बुलाई जा सकी। समिति के गैर-सरकारी सदस्यो को मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षक के रूप में नामित नही किया गया है, तथापि मंत्रालय ने एक उप समिति बनाई है जो इस बात की सिफारिश करेगी कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों सहित मंत्रालय के कामकाज के किन क्षेत्रो में हिन्दी को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे है, हालांकि मंत्रालय के किसी अनुभाग में पूर्ण रूप से हिन्दी में कार्य करना अभी भी संभव नही हो

सका है। इसका मुख्य कारण इस मंत्रालय के कार्य का स्वरूप है जो कि अधिकतर बाहर के देशों और बाहर के मिशनों के साथ किया जाता है।

(ग) विदेश मंत्रालय राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों का क्रियान्वयन करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। हिन्दी मे प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे है और जैसे कि अपेक्षित है राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों को द्विभाषी रूप मे जारी किया जा रहा है। जहां तक सभव होना है हिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाता है। मंत्रालय वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा है।

Sainik Schools in Rajasthan

594. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the number of Sainik schools in Rajasthan and students studying therein;

(b) whether there is any proposal to set up more Sainik schools in that State; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) There is one Sainik school in Rajasthan at Chittorgarh. A total of 582 students are studying in the school.

(b) and (c) A Sainik school is established only at the specific request of a State Government as the entire capital expenditure and a major portion of the recurring expenditure of the school has to be borne by them. No proposal has been received from the Government of Rajasthan for opening more Sainik schools in that State.

Promotion of Research and Development in Industry

595. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been no proper response from the Industry for the creation of research and development facilities;

(b) whether Government propose to take steps to strengthen and promote indigenous research and development in the industry; and

(c) whether Government also propose to enter into any collaboration agreements in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) Research and Development in Industry is of recent origin in the country. Currently, there are over 1000 in-house R&D units in industry which has a valid recognition from the Department of Scientific & Industrial Research. They have established facilities and have also employed competent personnel. While the response has been encouraging, for a country of our size, the R&D capability in the industry should be increased still further. Currently, there are incentives for strengthening and promoting indigenous research & development in the industry.

(c) Research and Development units in the industry desiring/requiring any support or collaboration with national laboratories are encouraged and measures have been taken to forge a closer link between national laboratories and the industries.